निर्णय ब इजलास जगरुप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **15/2019** (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ पंजीकृत पता एम–62 व 63, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।

प्रार्थी

बनाम

1. विजय जैन प्रोपराईटर रक्षित पब्लिकेशन
2. राशि जैन

   क. 23/36 स्वर्ण पथ मानसरोवर जयपुर

   ख. फलैट नम्बर जी–2, ग्राउण्ड फलोर, प्लाट नम्बर 22, स्कीम कृष्णा सरोवर, रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई, सांगानेर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

निर्णय दिनांक 10-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10/4/2013 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी राशि जैन के स्वामित्व की फलैट नम्बर जी–2 ग्राउण्ड फलोर प्लाट नम्बर 22 स्कीम कृष्णा सरोवर रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई सांगानेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट को बन्धक रख कर 25,21,092/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23/8/2018, को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये व इसके अतिरिक्त दि टाईम्स आफ इण्डिया में दिनांक 22/9/2018 व दैनिक नवज्योति में दिनांक 26/9/2018 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । न्यायहित में अप्रार्थीगण ऋणी को सूचना पत्र जारी किया गया । अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 19 सितम्बर 2007 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में विफल रहने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23/8/2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्र कमशः टाईम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 22/9/2018 व दैनिक नवज्योति में 26/9/2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। नोटिस प्राप्ति के उपरान्त भी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी राशि जैन के स्वामित्व की फलैट नम्बर जी–2 ग्राउण्ड फलोर प्लाट नम्बर 22 स्कीम कृष्णा सरोवर रामसिंहपुरा उर्फ धोलाई सांगानेर जयपुर कुल क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 10-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

(जगरुप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर